न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2022/213

1. चौथमल आत्मज स्व. रंगलाल(मृतक) जरिये कायम मुकाम–
   1/1. देवप्रकाश पुत्र चौथमल निवासी ग्राम देवली तहसील के0पाटन जिला बून्दी(राज0)।
   1/2. जगदीश पुत्र चौथमल निवासी ग्राम देवली तहसील के0पाटन जिला बून्दी(राज0)।
   1/3. पुष्पा बेवा चौथमल निवासी ग्राम देवली तहसील के0पाटन जिला बून्दी(राज0)।
   1/4. अनोख बाई पुत्री चौथमल पत्नि रामनारायण निवासी तीन बत्ती चौराहा, कोटा(राज0)।
   1/5. विमला बाई पुत्री चौथमल पत्नि मोहनलाल निवासी ग्राम टाकरडा, नगर पालिका कापरेन, जिला बून्दी(राज0)।

– अपीलांटगण

बनाम

1. जगन्नाथ आत्मज मोती निवासी ग्राम देवली तहसील के0पाटन जिला बून्दी(राज0)।
2. रघुनाथ आत्मज मोती निवासी ग्राम देवली तहसील के0पाटन जिला बून्दी(राज0)।
3. दाखा पुत्री मोती निवासी ग्राम देवली तहसील के0पाटन जिला बून्दी(राज0)।
4. कमला पुत्री मोती निवासी ग्राम देवली तहसील के0पाटन जिला बून्दी(राज0)।
5. भैरूलाल पुत्र चतरा निवासी ग्राम देवली तहसील के0पाटन जिला बून्दी(राज0)।
6. बद्रीलाल आत्मज चतरा निवासी ग्राम देवली तहसील के0पाटन जिला बून्दी(राज0)।
7. देवलाल पुत्र किशन निवासी ग्राम देवली तहसील के0पाटन जिला बून्दी(राज0)।
8. छीता बाई पत्नि श्रीकिशन(मृतक)
9. गंगाबाई पुत्री छीता बाई पत्नी मोहनलाल निवासी कापरेन जिला बून्दी(राज0)।
10. कंचन बाई पुत्री छीता बाई नाथूलाल निवासी ग्राम हाण्डीयाखेडा तहसील के0पाटन जिला बून्दी(राज0)।

11. रामनाथी पुत्री हजारा, पत्नि छीतरलाल निवासी देवली हाल निवास झरान्या की झोपडियां तहसील के0पाटन जिला बून्दी(राज0)।
12. अम्बालाल पुत्र रंगलाल निवासी ग्राम देवली तहसील के0पाटन जिला बून्दी(राज0)।
13. छोटू पुत्र रंगलाल निवासी ग्राम देवली तहसील के0पाटन जिला बून्दी(राज0)।
14. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केशवरायपाटन, जिला बून्दी(राज0)।

—रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस—(1). प्रद्युम्न शर्मा— अधिवक्ता अपीलांट
(2). नरेन्द्र गुप्ता— अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 5

निर्णय दिनांक 03.08.2023

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 79/2009 मे पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिकी दिनांक 13.07.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 6 ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खाता संख्या नई 40 पुरानी 44 के खसरा सं0—360 एकबा 0.72 हैक्टर, खसरा सं0—361 एकबा 082 हैक्टर, खसरा सं0—362 एकबा 0.34 हैक्टर, खसरा सं०—363 एकबा 0.48 हैक्टर, खसरा सं0—364 एकबा 0.31 हैक्टर, खसरा सं0—365 एकबा 026 हैक्टर खसरा सं0—401 एकबा 0.38 हैक्टर खसरा सं0—402 एकबा 063 हैक्टर, खसरा सं0—403 एकबा 0.85 हैक्टर, खसरा सं0—404 एकबा 0.25 हैक्टर, खसरा सं0—639 एकबा 0.50 हैक्टर, खसरा सं0—651 एकबा 0.04 हैक्टर, खसरा सं0—707 एकबा 0.65 हैक्टर, खसरा सं0—708 एकबा 0.77 हैक्टर, खसरा सं0—712 एकबा 0.15 हैक्टर कुल किता 15 कुल एकबा 7.15 हैक्टर वाके ग्राम देवली तहसील के पाटन जिला बून्दी (राज0) में स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड में जमबांदी सम्वत 2062 से 2065 में संयुक्त खाते मे दर्ज है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित पैतृक आराजी में वादी संख्या 1 लगायत 4 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 4 से 5 का 1/3 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी लगायत 3 से 5 का 1/15 हिस्सा व प्रतिवादी में 6, 7, 8 का 1/5 हिस्सा अर्थात 3/15 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी का 1/15 हिस्सा निहित है। वाद—पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार का काबिज होकर काश्त करते चले जा रहे है। वादीगण व प्रतिवादीगण को लगान पिलाई अदा करने व

अपनी काश्त भूमि पर सुधार कार्य करने में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का हिस्से अनुसार राजस्व अभिलेखों में बंटवारा नहीं होने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच लगान पिलाई अदा करने में अक्सर विवाद होता रहता है इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि वा वादीगण उक्त कृषि भूमि का बंटवारा करवाकर राजस्व में अपना नाम पृथक से अलग दर्ज करवाये तथा अपने हिस्से में प्राप्त होने वाली कृषि भूमि का सुधार कार्य करवा अधिक उपजाऊ बनवाये। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार आपकी सहमतिपूर्वक बंटवारा करवाने बाबत आग्रह किया तथा सक्षम अधिकारी के समक्ष बंटवारा करने को कहा किन्तु उन्होंने वादीगण की बात पर कतई ध्यान नहीं दिया तथा दिनांक 23–5–09 को भी अंतिम रूप से बंटवारा करवाने से मना कर दिया यही वाद करण है। जो निरंतर बना हुआ है। अन्त में वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री व आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया कि वादपत्र की चरण में 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण को अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी हल्की भूमि का बंटवारा करवाकर राज्य अभिलेख में तन्हा मालिक काश्तकार खातेदार घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। दिनांक 13.07.2022 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित भूमि में वादी संख्या 1 से 4 को 1/3 हिस्से का, वादी संख्या 5 से 6 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया। तहसीलदार केशवरायपाटन को वादीगण के हिस्से अनुसार मांप व सीमांकन के आधार पर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के तहल अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया तथा उक्तानुसार विवादित भूमि के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिकी पारित की।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 13.07.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांगण की ओर से प्रथम अपील इस न्यायालय मे मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र धारा–96 के निर्णयाधीन मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन

नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्टगण सख्या 14 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण अपीलांटगण के पिता चौथमल की मृत्यु दिनांक 06.12.2010 को ही हो चुकी है जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण को पक्षकार बनाये बिना ही निर्णय पारित किया गया। अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने से उन्हे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। अन्त में अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने व अपील अंदर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया है। हमने प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया। चूंकि अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नहीं थे। अपीलांटगण के पिता अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार थे जिनकी वाद के विचाराधीन रहते हुए मृत्यु हो गई। अपीलांटगण का कथन रहा है कि अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार कायम नहीं किये जाने से अपीलांटगण को निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी, अपीलांटगण का उक्त कथन विश्वसनीय प्रतीत होता है। अतः न्यायहित मे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

6. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता चौथमल की मृत्यु दिनांक 06.12.2010 को हो जाने के पश्चात अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण को बिना पक्षकार कायम किये ही निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2022 पारित करवा ली। प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से प्रभावित है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण अपीलांटगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. का अवलोकन किया। चूंकि अपीलांटगण का अपील में कथन रहा है कि विवादित भूमि उनके पिता की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा अपीलांट के पिता की मृत्यु वाद के

विचाराधीन रहते हो जाने के बावजूद अपीलांटगण को पक्षकार कायम नहीं किया गया। न्यायालय हाजा की पत्रावली में प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण–पत्र की फोटोप्रति के अनुसार चौथमल की मृत्यु हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.07.2022 का है तथा वाद सन् 2009 में संस्थित किया गया है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि चौथमल की मृत्यु वाद के विचाराधीन रहते हो चुकी थी। इसके बावजूद उसके वारिसान(अपीलांटगण) को पक्षकार कायम किये बिना ही निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांटगण चौथमल के वारिसान है तथा चौथमल की मृत्यु हो चुकी है। अतः अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2022 से प्रभावित पक्षकार होना प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में अपीलांटगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांटगण प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलांटगण ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा अपनी बहस में अपील मेमो व लिखित बहस मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण की पैतृक सम्पत्ति कृषि भूमि खाता संख्या नई 40 पुरानी 44 के खसरा सं0–360 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा स०–361 रकबा 0.82 हैक्टर, खसरा सं0–382 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा सं0–363 रकबा 048 हैक्टर, खसरा सं0–364 रकवा 0.31 हैक्टर, खसरा सं0–365 रकवा 0.26 हैक्टर, खसरा सं0–401 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा सं0–402 रकबा 0.63 हैक्टर, खसरा सं0–403 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा सं0–404 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा स०–639 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा सं0–651 रकबा 0.04) हैक्टर, खसरा सं0–707 रकबा 065 हेक्टर खसरा सं0–708 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा सं0–712 रकबा 0.15 हैक्टर कुल किता 15 कुल रकबा 7.15 हैक्टर वाके ग्राम देवली तहसील के पाटन जिला बून्दी (राज0) में स्थित है जिसके सम्बन्ध में पूर्व में रेस्पोडेन्ट एवं अपीलांट के मध्य बंटवारा का बाद डिक्री किया जा चुका है। जो कि रेस्पोडेन्ट क्रम–5 व 6 के पिता चतरा द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया था जिसे समस्त परिवारगण द्वारा स्वीकार किया जा चुका था। जिसमे रेस्पोडेन्ट क्रम–1 लगायत 4 के पिता मोतीलाल को बतौर प्रतिवादी बनाया गया था एवं मोतीलाल द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र में स्वयं कहा गया था कि चतरा जो कि रेस्पोडेन्ट क्रम–5 व 6 का पिता है अपने बाल्यकाल मे ही ईश्वर गुर्जर के गोद चला गया था जो कि बाल्यकाल से ही ईश्वर गुर्जर के घर ही रहता था एवं इस हेतु चतरा को उक्त कृषि आराजी में बंटवारा हेतु वाद लाने का कोई अधिकार नही था। जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट ग्राम–5.6 व रेस्पोडेन्ट क्रम–1 लगायत 4 द्वारा उक्त बाद वास्ते इसी कृषि भूमि के सम्बन्ध में पुनः बंटवारे हेतु प्रस्तुत किया गया जबकि मोतीलाल द्वारा

पूर्व मे प्रतिवाद मे अपने कथनानुसार तथ्य से स्वयं स्टॉप्ड है तो भी आपस मे मिलीभगत कर वाद प्रस्तुत किया गया है जो कि पूर्व में हुये बटवारे के बाद में न्यायिक निर्णय होने से उक्त बाद रेसज्यूडिकेटा के अन्तर्गत आता है। उक्त तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतया अनदेखी करते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किये जाने के पश्चात अपीलांट के पिता चौथमल की मृत्यु 06.12.2010 को ही हो चुकी है तो भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद मे मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो कि स्वत अवैध एवं शून्य हो चुकी है। इसी प्रकार उक्त बाद के न्याय निस्तारण के पूर्व ही रेस्पोडेन्ट क्रम–8 छीता बाई पत्नि किशन की मृत्यु दिनांक 14.07.2016 को ही हो चुकी है। जिसका नाम बाद पत्र से डिलीट किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो कि पूर्णतया स्वत ही अवैध एवं शून्य घोषित हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक नियमो के सिद्धान्तो की अवहेलना करते हुये उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो कि पूर्णतया निरस्त होने योग्य है जिसकी अप्रसन्नता मे माननीय न्यायालय में उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है जिसकी सफलता की पूर्ण आशा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह भी नहीं देखा गया कि पूर्व में वादी / रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 4 द्वारा प्रतिवाद पत्र में स्वयं द्वारा किये गये कथनों स्टॉप्ड होते हुए भी रेस्पोडेन्ट / वादी क्रम– 5 व 6 से मिलीभगत कर उक्त बाद बंटवारे हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त तथ्य की अनदेखी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो कि पूर्णतया निरस्तनीय है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के सम्बन्ध में पूर्व मे ही निर्णय एवं टिकी पार बंटवारा हेतु पारित की जा चुकी है जिससे उक्त बाद रेज्यूडीकेटा से बाधित है। उक्त तथ्य की अनदेखी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो कि पूर्णतया निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित करते समय अपीलांटगण को आवश्यक पक्षकार बनाये बिना ही एवं अपीलांट के पिता चौथमल की मृत्यु के पश्चात उनके विरूद्ध मृत व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो कि स्वतः प्रारम्भतः शून्य है। अपीलांट के पिता चौथमल की मृत्यु 06.12.2010 को ही हो चुकी है जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को बिना पक्षकार बनाये ही निर्णय पारित किया गया जिसकी जानकारी दिनांक 06.08.2022 को अपीलाट को उक्त बाद में अन्य पक्षकार छोटू लाल द्वारा दी गई जिसके पश्चात अपीलांट द्वारा अविलम्ब अधीनस्थ न्यायालय से निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित फोटो प्रति प्राप्त की गई जो कि अपीलाट को उक्त फोटो प्रति दिनांक 16.08.2022 को प्राप्त हो सकी। जिससे अपील प्रस्तुत करने में अपीलांट को विलम्ब हो चुका है जिसे डिले कंडोन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्य पक्षकार छोटू लाल द्वारा दी गई जिसके

पश्चात अपीलांट द्वारा अविलम्ब अधीनस्थ न्यायालय से निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित फोटो प्रति प्राप्त की गई जो कि अपीलांट को उक्त फोटो प्रति दिनांक 16.08.2022 को प्राप्त हो सकी। जिससे अपील प्रस्तुत करने में अपीलांट को विलम्ब हो चुका है जिसे डिले कंडोन किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी विन्दुओ एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो कि पूर्णतया निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में श्रीकिशन की पत्नी प्रतिवादी संख्या 5 छीताबाई का नाम डिलीट नहीं किया गया जबकि उसकी मृत्यु वाद के विचाराधीन रहते हो चुकी थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 के पिता चतरा की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत पूर्व वाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पिता मोतीलाल ने चतरा का ईश्वर गूजर के गोद जाना बताया है। वादी का पिता छतरा गोद जा चुका था अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2008(2) पेज 1247, आर.आर.डी. 2004 पेज 713 प्रस्तुत किये। अन्त में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक व्यक्ति के विरुद्ध एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विरुद्ध पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2022 को अविलम्ब निरस्त किये जाने तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे पुनः विचारण हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

9. अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण संख्या 5 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 6 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अपीलांटगण का पिता प्रतिवादी संख्या 7 चौथमल जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ। प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से दिनांक 24.09.2010 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। उक्त जवाबदावे पर प्रतिवादी संख्या 7 की अंगूठा निसानी भी अंकित है। यह अधिवक्ता प्रतिवादी की जिम्मेदारी है कि वह उसके मुवक्किल की मृत्यु होने पर न्यायालय एवं उसके वारिसान को सूचित करे प्रतिवादी ने आदेश 22 नियम 10A सी.पी.सी के प्रावधानों की पालना नहीं की। प्रतिवादी संख्या 7 के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को उसकी मृत्यु की कोई सूचना नहीं दी गई। अतः अपीलांट का यह तर्क मान्य नहीं है कि प्रश्नगत निर्णय शून्यता या नलिटि की श्रेणी में आता है। विवादित भूमि के संबंध में बंटवारे का वाद पहले सन् 1986 में वादपत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें भी अपीलांटगण का पिता पक्षकार था। उक्त वाद में पारित अंतिम निर्णय व डिक्री की किसी कारण से इजराय नहीं होने से दूसरा वाद प्रस्तुत किया गया। चूंकि विवादित भूमि सहखातेदारी में दर्ज थी, इसलिए दूसरा वाद प्रस्तुत किया। पूर्व प्रस्तुत वाद में पारित निर्णय व डिक्री को

12 साल से ज्यादा की अवधि बीत जाने के बाद इजराय नहीं होने से पुनः नवीन वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय दिनांक 13.07.2023 के पैरा नम्बर 3 में उल्लेखित किया है कि, "वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार करते हुए विशेष आपत्ति में वर्णित किया कि वाद वर्णित आराजीयात के विभाजन बाबत् बंटवारे का वाद वर्ष 1982 में वाद संख्या 209/86 बउनवान चतरा बनाम मोतीलाल पेश किया गया। जिसमें वादीगण संख्या 1 से 4 के पिता मातीलाल को प्रतिवादी बनाया गया था तथा मोतीलाल ने उक्त वाद में अपनी ओर से जवाबदावा पेश किया तथा वाद गुणावगुण के आधार पर दिनांक 11.08.1989 को निर्णय एवं डिक्री फरमा दिया गया तथा वादीगण को विभाजन में भूमि दी जा चुकी है। जिससे सहमत होकर वादीगण के पिता ने जीवनपर्यन्त बंटवारे को स्वीकार किया जिसकी सम्पूर्ण जानकारी वादीगण को भली भांति है।" इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की आपत्ति को ध्यान मे रखते हुए विधिवत् रूप से निर्णय पारित किया है। अपीलीय न्यायालय भी इश्यु वाइज(तनकीवार) निर्णय पारित कर सकता है। मृतक छीताबाई के वारिसान पहले से रिकॉर्ड पर है। अतः इस आधार पर दावा खारिज नहीं किया जा सकता कि अधीनस्थ न्यायालय में मृतक छीताबाई का नाम डिलीट नहीं किया गया। पुराने वाद में वादीगण संख्या 1 से 4 के पिता का गोद जाने को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में स्वीकार नहीं किया है। अपनी बहस के समर्थन में रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2019(2) आर.आर.टी. पेज 1550, आर.आर.टी. 2018–19(सप्लीमेंट्री) पेज 204, आर.आर.टी. 2007(1) पेज 385, आर.आर.डी. 2008 पेज 765, ए.आई.आर. 1962 (राज0) पेज 96, ए.आई.आर. 2018 डेल्ही पेज 34 प्रस्तुत किये। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2022 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

10. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट के पिता अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 7 के रूप में पक्षकार थे तथा आदेशिका दिनांक 11.08.2009 के अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 की ओर से गोविन्द शर्मा एडवोकेट द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया । ऐसे में समय पर अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता प्रतिवादी को जानकारी दी जानी चाहिए थी। वादी भी प्रतिवादी संख्या 7 के पारिवारिक वंशवृक्ष से है, अतः वादी द्वारा भी जानकारी दी जा सकती थी। अतः हमारे मत में वादी

तथा प्रतिवादी दोनो ने अधीनस्थ न्यायालय में मृतक चौथमल की मृत्यु की सूचना नहीं देकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया परन्तु तथ्य यह है कि चौथमल प्रतिवादी संख्या 7 की मृत्यु प्रश्नगत निर्णय व डिक्री से पूर्व हो चुकी थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 22.03.2012 के अनुसार प्रकरण में तनकीयात कायम की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पृथक पृष्ठ पर 5 तनकीयात कायम कर अकित की गई है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.07.2022 से स्पष्ट है कि पूर्व में भी कोई वाद निर्णित होकर डिक्री जारी हुई थी। उस पूर्व में जारी डिक्री की पालना आज तक क्यों नहीं करवाई गई? यह स्पष्ट नहीं है। पूर्व वाद के निर्णय में अंकित खसरा नम्बर व हस्तगत वाद के खसरा नम्बर में भिन्नता है तथा पूर्व के खसरा नम्बर से नए खसरा नम्बर क्या बने? इसकी स्पष्टता मिलान क्षेत्रफल व तत्समय के राजस्व रिकॉर्ड से ही स्पष्ट हो सकती है। अतः पूर्व के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.08.1989 तथा हस्तगत निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2022 में अंकित खसरा नम्बर को मिलान क्षेत्रफल या सम्बंधित रिकॉर्ड से ही स्पष्ट किया जा सकता है। हम अधिवक्ता अपीलांट के इस तर्क से सहमत है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 के अनुसार नहीं है। हमने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया। तनकीयों बनाने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार साक्ष्य एवं विधि के आधार पर कोई विवेचन नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय को हर एक विवाद्यक पर अपना विनिश्चय निमित कारणों सहित देना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन कर निर्णय पारित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत निर्णय में भी तथ्यों एंव विधि की विवेचना भी नहीं की है तथा यह निर्णय स्पीकिंग तथा रिजन्ड निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। अतः हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2022 खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट कारणों सहित निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटगण आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 79/2009 मे पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2022 निरस्त किये जाते है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांटगण को पक्षकार कायम करते हुए, व्यवहार

प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार नवीन निर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 29.08.2023 को उपस्थित रहे।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 03.08.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा